

संशोधित संकल्प

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 170(9) दिनांक 24.1.12 द्वारा डा0 ललन प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी, क्लीनिक साहीन मार्केट, अनिशावाद, पटना सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सेन्द्रल जेल, मोतीहारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए डा0 के0के0 सिंह अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदा0 9 उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे। संचालन पदाधिकारी दिनांक 31.12.14 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही उनके कार्यकाल में पूरी नहीं हो सकी।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संशोधित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 द्वारा विहित रीति से विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अब डा0 प्रभा सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उपस्थापन पदाधिकारी प्रशाखा पदा0- 9 रहेंगे।

आदेश :-संशोधित संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 174 (9)

/दिनांक : 02/03/2015

प्रतिलिपि :- साक्ष्य फोल्डर के साथ डा0 प्रभा सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर, अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि :- डा0 ललन प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी, क्लीनिक साहीन मार्केट, अनिशावाद, पटना सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सेन्द्रल जेल, मोतीहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी - 9 को उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संशोधित संकल्प
सरकार के अवर सचिव।